रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1590/2026/725/22-2-2026-17(401)/2026
लखनऊ: दिनांक: 06 नवम्बर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमरेन्द्र पाल (बन्दी संख्या-552/2025) पुत्र श्री नरसिंह पाल, ग्राम-भरवल पर्वता, थाना-धनकटा, जनपद-संतकबीर नगर का है, बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 118/2016 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश (सी०एल०डब्लू०/एफ०टी०सी०-प्रथम), अम्बेडकरनगर के दण्डादेश दिनांक 23.10.2024 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में बन्दी की अपील लम्बित है, बंदी द्वारा दिनांक 02.11.2025 तक अपरिहार 02 वर्ष 07 माह 04 दिन तथा सपरिहार 02 वर्ष, 09 माह, 04 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, संतकबीर नगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1590/2026/725(1)/22-2-2026 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, संतकबीर नगर।
3- पुलिस अधीक्षक संतकबीर नगर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।